अध्याय-11

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.1 परिहार्य ब्याज का भुगतान

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित समय से अधिक समय तक शेयर आवेदन राशि को अपने पास रखने के कंपनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप शेयर आवेदकों को ₹ 1.20 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (6) में प्रावधान है कि प्राइवेट प्लेसमेंट पर प्रतिभूतियों के सब्सक्रिप्शन के लिए प्रस्ताव देने वाली कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूतियों का आबंटन करना होगा या 60 दिनों की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर ग्राहकों को धनराशि वापस करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे 60वें दिन की समाप्ति से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित धनराशि वापस करनी होगी।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड[1] (कंपनी) के निदेशक मंडल (बीओडी) ने प्रदत्त पूंजी को ₹ 0.10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 200 करोड़ करने और अपने मौजूदा छः शेयरधारकों[2] को एक या अधिक चरणों में राइट इश्यू के आधार पर ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के 19.99 करोड़ इक्विटी शेयर, कुल ₹ 199.90 करोड़ आबंटित करने की मंजूरी दी (नवंबर 2020)। तदनुसार, कंपनी ने अपने मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचआरआईडीसीएल) को 45 प्रतिशत की प्रमुख शेयरधारिता के साथ 19.99 करोड़ शेयरों के राइट इश्यू के लिए प्रस्ताव-पत्र जारी किए (23 दिसंबर 2020), जो 15 दिसंबर 2020 को कंपनी में उनकी शेयरधारिता पर आधारित है। यह प्रस्ताव 28 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 की अवधि के लिए वैध था। इसके उत्तर में, केवल दो शेयरधारकों अर्थात मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से क्रमशः ₹ 29.99 करोड़ (अप्रैल 2021) और ₹ 9.99 करोड़ (अप्रैल/सितंबर 2021) की शेयर आवेदन राशि (एसएएम) प्रस्ताव अवधि से परे प्राप्त हुई। अन्य शेयरधारकों, विशेष रूप से प्रमुख शेयरधारक अर्थात हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से शेयर आवेदन राशि प्राप्त न होने के कारण, तथा सरकार के नियंत्रण हित को कमजोर करने से बचने के लिए, कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को शेयर आबंटित नहीं किए। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (6)

---

1 हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2019 को एक विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में निगमित। यह कंपनी हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचआरआईडीसीएल) की एक सहायक कंपनी है। हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय/भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। मार्च 2021 तक इक्विटी शेयरधारिता: हरियाणा सरकार: 51 प्रतिशत और रेल मंत्रालय: 49 प्रतिशत।

2 हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: 8,99,55,000 शेयर (45 प्रतिशत), मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड: 2,99,85,000 शेयर (15 प्रतिशत), गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण: 99,95,000 शेयर (5 प्रतिशत), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: 2,99,85,000 शेयर (15 प्रतिशत), ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड: 1,99,90,000 (10 प्रतिशत) और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड: 1,99,90,000 (10 प्रतिशत)।

के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित, निर्धारित समय के भीतर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को शेयर आवेदन राशि वापस करने के बजाय, कंपनी ने शेयर आवेदन राशि को अपने पास रखने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2023) कि कंपनी ने अपने मौजूदा शेयरधारकों के साथ शेयरधारक करार को अंतिम रूप देने से पहले ही दिसंबर 2020 में राइट इश्यू के आधार पर शेयर जारी करने के लिए प्रस्ताव-पत्र जारी कर दिए थे। बाद में, कंपनी ने उसी दिन (11 फरवरी 2022) पांच शेयरधारकों[3] के साथ शेयरधारक करार को अंतिम रूप देने के बाद 11 फरवरी 2022 को अपने शेयरधारकों को राइट इश्यू के लिए संशोधित प्रस्ताव-पत्र जारी किए। कंपनी को मार्च 2022 में दो शेयरधारकों[4] से शेयर आवेदन राशि और एक शेयरधारक[5] से शेयर आवेदन राशि के रूप में भूमि प्राप्त हुई और अप्रैल/सितंबर 2021 में उनसे पहले प्राप्त शेयर आवेदन राशि के बदले 17 मार्च 2022 को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण सहित पांच शेयरधारकों[6] को शेयर आबंटित किए। अंततः, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42(6) के अनुसार शेयरों के आबंटन में देरी के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (अगस्त 2022 में ₹ 2.79 करोड़) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (फरवरी 2023 में ₹ 0.41 करोड़) को ₹ 3.20 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। यह भी देखा गया कि कंपनी ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण से प्राप्त शेयर आवेदन राशि पर ₹ 2.00 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था।

इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की शेयर आवेदन राशि को निर्धारित समय से अधिक समय तक अपने पास रखने के कंपनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 1.20 करोड़ (₹ 3.20 करोड़ - ₹ 2.00 करोड़) के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को शेयर आवेदन राशि इस अपेक्षा में वापस नहीं की गई कि अन्य शेयरधारकों से अंशदान शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, तथापि, शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करने और शेयर आवेदन जारी करने में समय लगा। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी ने शेयरधारकों के करार को अंतिम रूप दिए बिना ही मौजूदा शेयरधारकों को प्रस्ताव-पत्र जारी कर दिए थे, और इसने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की शेयर आवेदन राशि को निर्धारित समय से परे शेयरों के अंतिम आबंटन तक रोके रखा था, जो संशोधित प्रस्ताव-पत्र जारी करने के बाद ही किया गया था।

मामला सरकार के पास भेजा गया (अप्रैल 2024) तथा उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: कंपनी को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए लागू वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

---

3 इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर।

4 हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (एसीएल)।

5 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी)।

6 मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

11.2 ठेकेदार को अनुचित लाभ

ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर के कब्जे के हस्तांतरण में देरी के साथ-साथ लाइसेंस करार के निष्पादन में देरी, और आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन में नवीनीकरण और उन्नयन अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) का विस्तार, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ और कंपनी को ₹ 0.68 करोड़ की लाइसेंस फीस आय से वंचित होना पड़ा।

जनवरी 2022 में आयोजित ई-नीलामी के अनुसार, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने उच्चतम बोलीदाता होने के नाते मेसर्स जे.बी. डेकोर (ठेकेदार) को अपने कन्वेंशन सेंटर, तिलयार झील, रोहतक को तीन साल की अवधि के लिए ₹ 1.75 करोड़ की वार्षिक लाइसेंस फीस पर पट्टे पर देने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया (24 फरवरी 2022), जिसमें संशोधित लाइसेंस[7] फीस पर तीन साल का विस्तार और आगे तीन साल (कुल नौ साल) का प्रावधान है। आशय-पत्र के अन्य निबंधन एवं शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- आशय-पत्र के प्रत्युत्तर में, सफल बोलीदाता को आशय-पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होगी और आशय-पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर 12 महीने की लाइसेंस फीस में से बयाना राशि/बयाना राशि जमा घटाकर ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा करनी होगी। प्रस्ताव-पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रतिभूति जमा न करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
- आशय-पत्र की स्वीकृति के बाद, उच्चतम बोली लगाने वाले को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर परिसर का उपयोग और अधिभोग करने की अनुमति दी जाएगी और तदनुसार, दोनों पक्षों के बीच लाइसेंस करार विधिवत निष्पादित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, लाइसेंसधारी को तकनीकी बोली प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत योजना के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च पर, परिसर के नवीनीकरण, उन्नयन और साज-सज्जा के लिए 90 दिनों की अवधि (बिना किसी लाइसेंस फीस के) दी जाएगी। इसके बाद, 90 दिनों की समाप्ति के बाद, लाइसेंस की अवधि शुरू हो जाएगी, और लाइसेंसधारी निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार समय-समय पर भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
- खुला स्थान/क्षेत्र "*जैसा है जहां है*" के आधार पर दिया जाएगा तथा मौजूदा संरचना की मरम्मत/नवीनीकरण पर होने वाले सभी व्यय लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे तथा लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित सभी फिटिंग और फिक्सचर, यदि कोई हों, लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद लाइसेंसदाता की संपत्ति बन जाएंगे।

[7] पिछली लाइसेंस फीस की तुलना में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि के अधीन।

ठेकेदार ने आशय-पत्र जारी होने की तिथि अर्थात 24 फरवरी 2022 को ही इसे स्वीकार कर लिया और निर्धारित समय के भीतर ₹ 1.65 करोड़[8] के विरुद्ध 09 मार्च 2022 को ₹ 0.70 करोड़ की प्रतिभूति राशि का एक भाग जमा कर दिया, जबकि शेष ₹ 0.95 करोड़ की प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए एक महीने का समय मांगा, जिसकी अनुमति कंपनी द्वारा दी गई (11 मार्च 2022)। तथापि, ठेकेदार ने विस्तारित अवधि के बाद, 07 मई 2022 को ₹ 0.95 करोड़ की शेष प्रतिभूति राशि जमा की। कंपनी ने कन्वेंशन सेंटर के कब्जे और लाइसेंस करार के निष्पादन के लिए ठेकेदार को एक पत्र जारी किया (11 मार्च 2022)। कंपनी और ठेकेदार के बीच 06 सितंबर 2022 से 05 सितंबर 2025 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस करार किया गया (08 जून 2022), जिसमें नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए 08 जून 2022 से 90 दिनों की अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) दी गई। ठेकेदार को 08 जून 2022 को कन्वेंशन सेंटर का कब्ज़ा लेने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, ठेकेदार के अनुरोध पर, कंपनी ने नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए 90 दिनों की समय-अवधि बढ़ा दी (04 अक्तूबर 2022)।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2023) कि ठेकेदार ने निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रतिभूति राशि के भुगतान के संबंध में आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया था। तथापि, कंपनी ने बयाना राशि जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा 24 फरवरी 2022 को आशय-पत्र स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए था, इसके बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने के तीन दिनों के भीतर ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। तथापि, ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर के कब्जे का हस्तांतरण और लाइसेंस करार का निष्पादन कब्जे की सूचना की तारीख (11 मार्च 2022) से तीन दिनों की अनुमति के बाद 86 दिनों की देरी से किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार के अनुरोध पर, कंपनी ने नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए समय-अवधि को भी 06 सितंबर 2022 से 31 अक्तूबर 2022 तक 56 दिनों के लिए बढ़ा दिया (04 अक्तूबर 2022), जो कि आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन है।

इस प्रकार, ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा हस्तांतरित करने में देरी के साथ-साथ लाइसेंस करार के निष्पादन, तथा नवीनीकरण और उन्नयन अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) के विस्तार में देरी, जो आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन था, ने ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया और कंपनी को ₹ 0.68 करोड़[9] की लाइसेंस फीस आय से वंचित कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2024) कि आशय-पत्र 24 फरवरी 2022 को स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, विभिन्न प्रशासनिक मामलों के कारण, कब्जा-पत्र 11 मार्च 2022 को जारी किया गया था। कन्वेंशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान, लाइसेंसधारी ने पाया कि कन्वेंशन सेंटर की छत में रिसाव था और नवीनीकरण कार्य से पहले भारी मरम्मत कार्य किया जाना था। इसलिए, नवीनीकरण के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त नहीं थी। कन्वेंशन सेंटर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो महीने की अवधि और बढ़ा दी गई।

---

8 अपेक्षित प्रतिभूति: ₹ 1.75 करोड़ घटा बयाना राशि जमा (ईएमडी): ₹ 0.10 करोड़।

9 ₹ 1.75 करोड़/365 X 142 (86+56) दिन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवीनीकरण और उन्नयन आदि के लिए 56 दिनों का विस्तार (लाइसेंस शुल्क के बिना) आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन है, अर्थात ई-नीलामी चरण के बाद निबंधनों एवं शर्तों में छूट देना अनुचित था और प्रतिस्पर्धी निविदा के सिद्धांतों के विरुद्ध था क्योंकि कन्वेंशन सेंटर परिसर "जैसा है जहां है" के आधार पर पेश किया गया था। इसके अलावा, कंपनी की ओर से प्रशासनिक कारणों से की गई देरी उचित नहीं थी।

मामला सरकार के पास भेजा गया (अप्रैल 2024) तथा उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश: नीलामी के बाद के चरण में ठेकेदार के पक्ष में वित्तीय निहितार्थ वाले ई-नीलामी के निबंधनों एवं शर्तों में छूट देने से बचा जाना चाहिए और ठेकेदार को ऐसी छूट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

चंडीगढ़ **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 26 दिसम्बर 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 13 जनवरी 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**